



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272569
CG-DL-E-14052026-272569

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2400]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2400]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2492(अ).— केन्द्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उन्नीस हजार रुपये प्रति मास की रकम को पारिश्रमिक के रूप में अधिसूचित करती है या जहाँ ऐसा पारिश्रमिक एकमुश्त रकम के रूप में उसके समतुल्य एक रकम होगी।

[फा. सं. एस-65025/2/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2492(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby notifies Rupees Nineteen thousand per month as the amount of remuneration for the purposes of the said clause or where such remuneration is by way of lump sum, an amount equivalent thereto.

[F. No. S-65025/2/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor